राज्यपाल सचिवालय
लोक भवन, जयपुर

क्रमांकः एफ.21(6)लोभ / वर्क्स / 2022 / 2141 दिनांक 21 अप्रैल, 2026

खुली निविदा सूचना संख्या– 02/2026–27

लोक भवन जयपुर में समय–समय पर आयोजित होने वाले समारोहों में लाईटिंग संबंधी सामग्री एवं उपकरण किराये पर प्रदाय करने हेतु वार्षिक दर संविदा करने के लिये अनुभवी फर्मों / संवेदकों से मुहरबंद लिफाफे में खुली बोली आमंत्रित की जाती है। बोली दस्तावेज एवं बोली की शर्तें मय उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री विवरण के लोक भवन की वेबसाईट www.lokbhavan.rajasthan.gov.in अथवा http://sppp.rajasthan.gov.in पर दिनांक 21.04.2026 को सायं 06.00 बजे से डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि रूपये	बोली प्रतिभूति राशि रूपये	बोली दस्तावेज राशि रूपये	बोली प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथि एवं समय	बोली खोलने की तिथि एवं समय
1	लोक भवन जयपुर में समय–समय पर आयोजित होने वाले समारोहों में लाईटिंग संबंधी सामग्री एवं उपकरण किराये पर प्रदाय करने हेतु दर संविदा	9.90 लाख	19,800/–	200/–	28.04.2026 1.00 PM	28.04.2026 3.00 PM

उक्त कार्य हेतु खुली बोली मुहरबंद लिफाफे में द्वि–प्रक्रमी बोली पद्धति के अनुसार आमंत्रित की जा रही है। तकनीकी बोली परिशिष्ट –'अ' एवं वित्तीय बोली परिशिष्ट–'ब' में पृथक–पृथक लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से प्रदाय की जा रही सेवा का नाम **"लाईटिंग संबंधी सामग्री एवं उपकरण किराये पर प्रदान करने हेतु दर संविदा"** लिखा हो, **कन्ट्रोलर, राज्यपाल हाउसहोल्ड, लोक भवन जयपुर** के कार्यालय में निर्धारित दिनांक 28.04.2026 को दोपहर 01.00 बजे तक स्वीकार की जायेगी जिसकी तकनीकी बोली उसी दिवस को अपराह्न 03.00 बजे विभागीय उपापन समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी एवं तकनीकी बोली में सफल पाये जाने वाले बोलीदाताओं की वित्तीय बोली खोलने की तिथि एवं समय से पृथक से अवगत कराया जावेगा।

बोली दस्तावेज की राशि का बैंकर्स चैक / ड्राफ्ट व बोली प्रतिभूति राशि का बैंकर्स चैक / ड्राफ्ट वित्तीय सलाहकार, राज्यपाल सचिवालय, लोक भवन, जयपुर के नाम से तकनीकी बोली प्रपत्रों के साथ संलग्न की जावेगी। बिना बोली दस्तावेज राशि एवं बोली प्रतिभूति राशि बोली स्वीकार नहीं की जावेगी।

21/4/26

वित्तीय सलाहकार,
राज्यपाल सचिवालय

क्रमांकः एफ.21(6)लोभ / वर्क्स / 2022 / 2142 दिनांक 21 अप्रैल, 2026

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु।
2. प्रभारी अधिकारी (IT), लोक भवन, जयपुर को खुली निविदा सूचना दस्तावेज को लोक भवन पोर्टल www.lokbhavan.rajasthan.gov.in तथा राज्य सरकार के स्टेट पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in पर शीघ्र अपलोड कराने हेतु।
3. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क (प्रकोष्ठ), लोक भवन, जयपुर, को निदेशालय जन सम्पर्क विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर से समन्वय स्थापित कर शीघ्र प्रकाशन कराने हेतु।
4. पुस्तकालयाध्यक्ष, लोक भवन, जयपुर को खुली निविदा सूचना विज्ञापन के प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र की कटिंग कर वर्क्स शाखा में भिजवाये जाने की व्यवस्था कराने हेतु।
5. नोटिस बोर्ड, लोक भवन, जयपुर।

वित्तीय सलाहकार,
राज्यपाल सचिवालय

परिशिष्ट–'अ'

राज्यपाल सचिवालय
लोक भवन, जयपुर
(तकनीकी बोली)

सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान
लोक भवन, जयपुर।

विषयः– लोक भवन जयपुर में समय–समय पर आयोजित होने वाले समारोह में लाईटिंग संबंधी सामग्री एवं उपकरण किराये पर प्रदाय करने हेतु दर संविदा के लिये तकनीकी बोली

1. बोलीदाता/संवदेक का नाम ....
2. डाक का पता ....
....
3. फोन/मोबाईल नं. ....
4. ई–मेल ....
5. बैंक का नाम ....
IFSC Code ....
खाता संख्या ....
6. बोली प्रपत्र शुल्क राशि रूपए 200/– जो बैंक ड्राफ्ट संख्या/बैंकर चैक सं.................. दिनांक ....बैंक .... पर आहरित है, संलग्न है।
7. बोली प्रतिभूति राशि रूपए 19,800/– रू के जो बैंक ड्राफ्ट संख्या/बैंकर चैक सं.................. दिनांक ....बैंक .... पर आहरित है, संलग्न है।
8. बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नालिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजों के साथ लगानी होगीः–

क्र.सं.	पंजीकरण विवरण	रजि. सं.	पंजीकरण वर्ष एवं दिनांक	संलग्नक क्रमांक	बोली प्रस्तुत करने की दिनांक को वैद्य है अथवा नहीं
1.	माल एवं सेवाकर (GST)				
2.	आय कर (पैन नम्बर)				
3.	Electrical Inspectorate Department, Government of Rajasthan द्वारा जारी लाईसेंस				
4.	गत दो वित्तीय वर्षो में अपेक्षित टर्न ऑवर के सम्बन्ध में वार्षिक टर्न–ऑवर राशि रूपए 15.00 लाख के प्रमाण स्वरूप अंकेक्षित लेखों/दस्तावेजो की स्वप्रमाणित एवं सी.ए द्वारा प्रमाणित छाया प्रतियाँ सलग्न है।				

9. लाईटिंग संबंधी सामग्री एवं उपकरण किराये पर प्रदाय करने हेतु दरें संलग्न प्रारूप **परिशिष्ट 'ब'** में प्रस्तुत करनी होगी।
10. राज्यपाल सचिवालय द्वारा जारी की गई खुली बोली में वर्णित सभी शर्तों से बाध्यता स्वीकार करनी होगी।
11. बोलीदाता की सशर्त बोली मान्य नहीं होगी।
12. खुली बोली दिनांक 27.04.2026 को मध्यान्ह 01.00 बजे तक स्वीकार की जावेगी तथा उसी दिन दोपहर पश्चात 3.00 बजे लोक भवन में उपस्थित बोलीदाताओं/संवेदकों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष तकनीकी बोली उपापन समिति द्वारा खोली जायेगी।
13. फर्म का संबंधित वस्तु एवं सामग्री/सेवा आदि का मुख्य रूप से वर्तमान में व्यवसाय चालू हालत (Running Condition) में होना चाहिए।
14. यह द्वि–प्रक्रमी बोली है जिसमें तकनीकी बोली परिशिष्ट–'अ' मय वांछित दस्तावेज तथा दस्तावेज शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि के बैंकर चैक पृथक से मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत करें जिस पर **"तकनीकी बोली लाईट सामग्री एवं उपकरण किराये पर प्रदाय हेतु दर संविदा"** अंकित करावें।
15. वित्तीय बोली परिशिष्ट 'ब' में भर कर पृथक से मोहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत करावें। जिस पर **"वित्तीय बोली लाईट सम्बन्धी सामग्री एवं उपकरण किराये पर प्रदाय हेतु दर संविदा"** अंकित करावें।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

वरिष्ठ लेखाधिकारी | कन्ट्रोलर | उप सचिव–प्रथम

परिशिष्ट–'स'

राज्यपाल सचिवालय
लोक भवन, जयपुर

आवश्यक शर्तें

कार्य का नामः– लोक भवन में समय–समय पर आयोजित होने वाले समारोहों में लाईटिंग संबंधी सामग्री एवं उपकरण किराये पर प्रदाय करने की दर संविदा बाबत।

1. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियिम 2012 व नियम 2013, जिसे आगे "अधिनियम" व "नियम" कहा गया है तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईड लाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेंगें। बोलीदाता को "अधिनियम" एवं "नियम" की पूर्ण जानकारी कर लेनी चाहिए। बोली दस्तावेज तथा उपर्युक्त "अधिनियम" एवं "नियम" में किसी प्रकार की विसंगति होने पर उक्त "अधिनियम" एवं "नियम" के प्रावधान ही प्रभावी होंगे।
2. लाईटिंग संबंधी सामग्री एवं उपकरण की संख्या/मात्रा में कमी/वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या/मात्रा की गारन्टी नहीं दी जायेगी एवं प्राप्त संख्या/मात्रा में कमी या उपाप्त नहीं करने की स्थिति में बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकार का हकदार नहीं होगा। लाईटिंग संबंधी सामग्री एवं उपकरण की संख्या/मात्रा में वृद्धि होने पर अनुबन्धित संवदेक/बोलीदाता द्वारा बोली की शर्त, निबंधन एवं दर आदेशित समय एवं स्थान पर उपलब्ध करानी होगी।
3. बोली में सफल बोलीदाताओं/संवेदकों से, दर संविदाओं के अन्तिम मूल्यांकन में उनकी स्थिति के क्रम में अति महत्वपूर्ण प्रकृति/अपेक्षित संख्या में लाईटिंग संबंधी सामग्री एवं उपकरण उपलब्ध करवाना न्यूनतम बोलीदाता की क्षमता से परे होने पर, समानान्तर दर संविदा की जा सकती है।
4. अनुबंधित बोलीदाता/संवेदक द्वारा दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन कार्य की कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तद्नुसार संशोधित की जायेगी।
5. उक्त दर संविदा आदेश दिनांक से एक वर्ष के लिए मान्य होगी जो आपसी सहमति द्वारा उसी कीमत, निबन्धों और शर्तों पर RTPP के नियमानुसार बढ़ायी जा सकेगी, यदि दर संविदा के अधीन किये जाने वाले कार्य या उसके घटकों की बाजार कीमत इस कालावधि के दौरान गिर न गयी हो।
6. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य ऐजेन्सी के लिये नहीं सौपेगा या भाड़े (Sub-let) पर नहीं देगा।
7. मूल्यांकन की कसौटी–तकनीकी बोली में सफल बोलीदाता/संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर बोली का मूल्यांकन किया जावेगा।
8. स्वीकृत बोलीदाता/संवेदक को कार्यादेश में, आदेशित राशि की निष्पादन प्रतिभूति के रूप में नियमानुसार जमा करवाकर राशि रूपये 500/–(अक्षरे पांच सौ मात्र) के नॉन ज्यूडिसियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध संपादित करना होगा। कार्य निष्पादन प्रतिभूति पर ब्याज देय नहीं होगा।
9. कार्य निष्पादन प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture):–निम्नांकित मामलों में किया जा सकता है:–
   (i) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
   (ii) जब बोलीदाता सेवाओं/माल का प्रदाय संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
   (iii) जब बोलीदाता माल/सेवा की आपूर्ति निर्धारित अवधि में प्रारम्भ करने में असफल रहा हो।
10. लाईटिंग संबंधी सामग्री एवं उपकरण किराये पर प्रदाय करने की अनुमोदित की गई दर संविदा की कालावधि करार पत्र निष्पादन तिथि से एक वर्ष होगी। इस कालावधि के दौरान कार्य संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में दोनों पक्षों की सहमति से आवश्यकता होने पर अनुबंध अवधि एवं राशि में नियमानुसार वृद्धि की जा सकेगी।
11. कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जावेगा। इस संबंध में सचिव, राज्यपाल लोक भवन का निर्णय अन्तिम होगा।
12. बोली में लोक भवन जयपुर में समय–समय पर आयोजित होने वाले समारोह में लाईटिंग संबंधी सामग्री एवं उपकरण किराये पर प्रदाय करने के कार्य की दरें एफ.ओ.आर. राज्यपाल सचिवालय, लोक भवन, जयपुर होगी तथा अग्रिम भुगतान की कोई शर्त मान्य नहीं होगी।
13. बोलीदाता/संवेदक को अपनी दरें निर्धारित प्रपत्र **परिशिष्ट 'ब'** में प्रस्तुत करनी होंगी।
14. बोली दरों में कांट–छांट नहीं की जावें।
15. बोली दरें पैन से भरी होनी चहिये, पैंसिल से भरी गयी बोली को रद्द कर दिया जावेगा।

16. बोली दरों की इकाई जैसे प्रति वर्ग फुट/प्रति रनिंग फुट/प्रति आईटम/प्रति दिन आदि स्पष्ट लिखा जावें।
17. कार्य की अनुमानित लागत राशि रूपये 9.90 लाख है।
18. बोली दिनांक 28.04.2026 को दोपहर 1.00 बजे तक मोहरबन्द लिफाफे में राज़्यपाल सचिवालय में प्रस्तुत करनी होगी।
19. निर्धारित समय तक प्राप्त बोलीयॉ दिनांक 28.04.2026 को अपरान्ह 3:00 बजे उपस्थित बोलीदाताओं/संवेदकों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष उपापन समिति द्वारा खोली जावेगी।
20. लोक भवन में होने वाले समारोह/कार्यक्रम के दौरान फर्म का दक्ष इलैट्रीशियन मय हेल्पर (आवश्यकतानुसार संख्या में) आवश्यक रूप से उपस्थित रहेगें।
21. बिजली सम्बन्धित उक्त कार्यो/सप्लाई से जनित किसी भी दुर्घटना/नुकसान के लिये लोक भवन सचिवालय/राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं होंगे। इस हेतु संवेदक/बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा साथ ही संवेदक को उपकरणों एवं श्रमिकों का बीमा भी करवा लेना चाहिए।
22. राज्यपाल सचिवालय में अति विशिष्ट कार्यक्रम होते हैं। बोलीदाता/संवेदक निर्देशानुसार निर्धारित स्थानों पर लाईटिंग संबंधी सामग्री एवं उपकरणों की आवश्यकतानुसार व्यवस्था करवायेगा।
23. बोलीदाता को अपने कार्यालय/निवास के दूरभाष नम्बर निविदा में देने होंगे, ताकि आवश्यक परिस्थितियों में दूरभाष पर सम्पर्क किया जा सके।
24. बोली दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर बोलीदाता के हस्ताक्षर किये जावें।
25. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अनुसार http:/sppp.rajasthan.gov.in (स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल) एवं राजभवन की साईट www.lokbhavan.rajasthan.gov.in पर भी बोली सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
26. बिना प्रतिफल के बोली मान्य नहीं होगी।

बिड़दाता के हस्ताक्षर
मय सील

वरिष्ठ लेखाधिकारी | कन्ट्रोलर | उप सचिव–प्रथम

परिशिष्ट–'द'

राज्यपाल सचिवालय
लोक भवन जयपुर

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने खुली बोली की समस्त जानकारी/शर्तों का अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। हम यह भी प्रमाणित करते हैं की हमारे द्वारा वास्तव में बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित सामग्री उपलब्ध है तथा RTPP अधिनियम 2012 की धारा–46 एवं RTPP नियम 2013 के नियम–39 के अनुसार राज्य सरकार या किसी उपापन द्वारा पात्रता के लिये विवर्जित नही किया है। मेरे द्वारा विभागीय परिशिष्ट 'अ' 'ब' 'स' 'द' एवं अनुलग्नक 'ए' 'बी' 'सी' 'डी' तथा बोली आमन्त्रण सूचना को पूर्ण रूप से पढ़ कर समझ लिया है। मेरे द्वारा इन शर्तों की पूर्ण पालना की जावेगी/करूंगा/करेंगे और मैं/हम उन्हें अक्षरशः स्वीकार करते हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति राशि को पूर्ण रूप से सम्पहृत किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बिड़दाता के हस्ताक्षर मय सील

वरिष्ठ लेखाधिकारी

कन्ट्रोलर

उप सचिव–प्रथम

परिशिष्ट–'ब'

राज्यपाल सचिवालय
लोक भवन, जयपुर

(वित्तीय बोली)

लाईटिंग संबंधी सामग्री एवं उपकरण

क्र.सं.	सामान	दरें प्रतिदिन	दरें
1	हेलोजन लाईट (500 वॉट)	प्रति नग	
2	हेलोजन लाईट (1000 वॉट)	प्रति नग	
3	पारकेन लाईटस (1000 वॉट)	प्रति नग	
4	मैटल लाईट (250 वॉट)	प्रति नग	
5	मैटल लाईट (400 वॉट)	प्रति नग	
6	निवार पट्टी लाईट (6.2 वॉट –60 बल्ब)	लडी 60 बल्ब	
7	ब्रेकिट लाईट (कट ग्लास)	प्रति नग	
8	झालर लाईट (6.2 वॉट –60 बल्ब)	लडी प्रति 60 बल्ब	
9	झालर लाईट (15 वॉट बल्ब)	लडी प्रति 60 बल्ब	
10	झालर लाईट (25 वॉट बल्ब)	लडी प्रति 60 बल्ब	
11	थ्री फेस लाईट अस्थाई वायरिंग (फिलैक्सिबल पाईप सहित)	प्रति रनिंग फीट	
12	सिंगल फेस लाईट अस्थाई वायरिंग (फिलैक्सिबल पाईप सहित)	प्रति रनिंग फीट	
13	पैडस्टल फैन	प्रति नग	
14	मिस्ट फैन	प्रति नग	
15	डेजर्ट कूलर	प्रति नग	
16	पोल 15 Ft. (हेलोजन लाईट के लिए)	प्रति नग	
17	पोल 20 Ft. (हेलोजन लाईट के लिए)	प्रति नग	
18	जनरेटर (62 KV) साइलेंट	प्रति नग	
19	जनरेटर (125 KV) साइलेंट	प्रति नग	
20	डी.पी. बोक्स	प्रति नग	
21	अस्थाई विद्युत कनेक्शन (जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 द्वारा)	जयपुर विद्युत वितरण निगम को भुगतान की गई वास्तविक राशि	
22	फ्लड लाईट	प्रति नग	
23	टावर ए.सी. 3.5 से 5.5 टन	प्रति नग	
24	मिनियचर बल्ब (6.2 बोल्ट नम्बर 60)	प्रति नग	
25	LED RGB Light	प्रति नग	
26	सीलिंग फैन	प्रति नग	
27	यदि उपरोक्त लाईट्स से संबंधित आईटम्स एक दिवस से अधिक उपयोग में लिये जाते हैं तो एक दिवस पश्चात दी जाने वाली छूट प्रतिशत	प्रतिशत	
28	GST की दरें	प्रतिशत	

Note:

1. वित्तीय बोली पृथक से मोहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जानी है जिस पर **"वित्तीय बोली लाईटिगं संबंधी सामग्री एवं उपकरण हेतु दर संविदा"** का नाम अंकित किया जाना है।
2. उक्त सभी दरें FOR लोक भवन होगी, जिसमें लोक भवन द्वारा निर्धारित स्थान पर लगवाना एवं खोलकर ले जाना फर्म का कार्य होगा।
3. अस्थाई विद्युत कनेक्शन (जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 द्वारा भुगतान की गई वास्तविक राशि) लिये जाने पर वास्तविक व्यय राशि का भुगतान किया जावेंगा।
4. यदि फर्म द्वारा डीजल जनरेटर का उपयोग किया जाता है तो डीजल के वास्तविक व्यय राशि का भुगतान किया जावेंगा।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय सील

वरिष्ठ लेखाधिकारी **कन्ट्रोलर** **उप सचिव–प्रथम**

Annexure A: Compliance with the Code of Integrally and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

i. Not offer any. bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

ii. Not misrepresent or molt that misleads or all empts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

iii. Not Indulge In any callusing, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

iv. Not misuse any Information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage In the procurement processes;

v. Not Indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

vi. Not obstruct and Investigation or audit of a procurement process;

vii. Disclose conflict of interest, if any; and

viii. Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by and other procuring entity

Conflict of Interest:-

The Bidder participation in a bidding process must not have a confect of interest.

A Conflicts of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations or compliance it he applicable laws and regulations.

I. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with cash other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or incidence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding processor
e. The Bidder participates in more than one Bid in bidding process. Participation by a Bidder in more than one bid will result in the disqualification for all Bids in Which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion to the same subcontractor, not otherwise participation as a Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of fits affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical speciation's of the Goods, Works or Services that are the subject to the Bid; or
g. Bidder are any of its affiliates has been dried (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-en-change/consultant for the contract.

बिड़दाता के हस्ताक्षर मय सील

वरिष्ठ लेखाधिकारी | कन्ट्रोलर | उप सचिव–प्रथम

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice inviting Bids No...........Dated .... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled by/our obligation to pay such of taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affiants administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject or legal proceedings or any of the fore going reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract with in a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a confect of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Place :

Signature of bidder :

Name :

Designation :

Address :

वरिष्ठ लेखाधिकारी

कम्प्ट्रोलर

उप सचिव–प्रथम

Annexure C: Grievance Redressed during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ....

The designation and address of the Second Appellate Authority is ....

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified In the Bidding Document within a period of ten days from

The date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he fells aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has articulated in Procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of with in thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed with in the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective Bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the first Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document In behalf with in fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity rotating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment or fee.
(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate authority, as the case may be, shall,-
    i. Hear all the parties to appeal present before him; and
    ii. Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
(c) A fret hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies there of relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

वरिष्ठ लेखाधिकारी	कन्ट्रोलर	उप सचिव–प्रथम

Annexure D: Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. If there is a discrepancy between the init price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected:

ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtracts, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in

Which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contact, the quantity of Goods, works or services originally Specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twin's present, of the quality specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit priese or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure and subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or Services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value go Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier Fails to do so, Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at5 the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very. large and it may not be In the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates or the Bidder, whose Bid is accepted.

वरिष्ठ लेखाधिकारी | कन्ट्रोलर | उप सचिव–प्रथम

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act 2012

Appeal No…………of …………

Before the …………………… (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   i. Name of the appellant:
   ii. Official address, if any:
   iii. Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   i.
   ii.
   iii.
3. Name and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is represented
4. If the appellant proposes to be represented By a representative, the name and postal address Of the representative:
5. Number of affidavits and documents cycled with the appeal:

Grounds

6. ………(Supported by an affidavit)
7. Prayer:………

Place…………………..

Date……………………

Appellant's Signature

नमूना करार पत्र

1. यह करार पत्र आज दिनांक ....को एक पक्ष के .... (जिसे इसमें आगे ''अनुमोदित प्रदायकर्ता'' कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, जहाँ संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों एवं प्रशासकों को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) तथा राजस्थान राज्य सरकार (जिसे इसमें आगे ''सरकार'' कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, जहाँ संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) द्वितीय पक्ष के बीच सम्पन्न किया गया ।
2. चूँकि अनुमोदित प्रदायकर्ता राजस्थान राज्य के **राज्यपाल सचिवालय, राजस्थान, जयपुर** को उसके मुख्यालय पर तथा सम्पूर्ण राजस्थान में उसके शाखा कार्यालयों को भी, इससे संलग्न अनुसूची में दी गयी सभी सेवाओं का निविदा एवं संविदा की शर्तों में दिए गए तरीके से तथा उक्त अनुसूची के कालम **संलग्न** में दी गयी दरों पर प्रदाय करने के लिए सरकार से सहमत हो गया है।
3. एवं चूँकि अनुमोदित प्रदायकर्ता ने रूपये .... की राशि .... निम्न प्रकार से जमा करायी है:
   - i. ''ई. जी. आर. ए. एस. के माध्यम से जमा'';
   - ii. किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक;
   - iii. राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखत, यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।
   - iv. किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियां। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी। बैंक गारंटी से संबंधित अन्य शर्तें बोली प्रतिभूति के लिए नियम 42 में वर्णित के समान होंगीं।
   - v. किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद का मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहृत कर ली जायेगी।

4. अतः अब यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी है:

(1.) इससे संलग्न अनुसूची में दी गयी दरों पर **कन्ट्रोलर, राज्यपाल हाउसहोल्ड, लोक भवन, जयपुर** के मार्फत सरकार द्वारा किए जाने वाले भुगतान के प्रतिफल में अनुमोदित प्रदायकर्ता मै० अरविन्द इलैक्ट्रीकल्स, 515, गोविन्द राव जी का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर और उसके **आदेश** में तथा निविदा एवं संविदा की शर्तो में दिए गए तरीके से उक्त वस्तुओं का विधिवत् प्रदाय करेगा।

(2.) निविदा सूचना संख्या .... दिनांक .... से संलग्न खुली निविदा हेतु निविदा एवं संविदा की शर्तों को तथा इस करार पत्र को निष्पादित करने वाले पक्षकारों के लिए मान्य होगी।

(3.) निविदादाता से प्राप्त पत्र दिनांक .... तथा सरकार द्वारा जारी किए पत्र संख्या..................... भी जो इस करार पत्र के साथ संलग्न किए गए है, इस करार पत्र के भाग के रूप में होंगे।

(4.) (क) सरकार एतद् द्वारा स्वीकार करती है कि यदि अनुमोदित प्रदायकर्ता उक्त सेवाओं का उपर्युक्त तरीके से विधिवत् प्रदाय करेगा, उक्त शर्तों का पालन करेगा तथा उन्हें बनाए रखेगा, तो सरकार .... के माध्यम से अनुमोदित प्रदायकर्ता को उक्त शर्तों में दिए गए समय पर तथा तरीके से, प्रत्येक सेवा प्रेषण के लिए देय राशि का भुगतान करेगा या भुगतान करवाएगी।

4. (ख) भुगतान राजकीय ट्रेजरी के माध्यम से On Line की विधि होगा, जिसके लिये निम्नांकित विवरण है:–

i. बैंक का नाम एवं पता :–...

ii. बैंक खाता धारक फर्म का नाम (जैसा कि बैंक खाते में लिखा हो) :–..

iii. बैंक खाता संख्या :–...

iv. बैंक IFSC कोड नं :–...

5. सेवाओं की सुपुर्दगी प्रदाय हेतु आदेश देने की तारीख से नीचे अंकित अवधि के भीतर प्रारम्भ की जाकर पूर्ण की जाएगी:–

क्रम संख्या	मदों की मात्रा	सुपुर्दगी अवधि

6. (1) (i) यदि शास्ति के साथ सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि की गई हो तो प्रदाय न किए गए सामानों के लिए निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जाएगी:–

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5%

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनधिक के लिए 5%

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अनधिक के लिए 7.5%

(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए 10%

टिप्पणी: (i) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम को छोड़ दिया जाएगा।

(ii) स्वीकार की गयी परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10% होगी।

(iii) यदी प्रदायकर्ता किसी प्रकार की बाधा के घटित हो जाने के कारण संविदान्तर्गत प्रदाय को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करने के लिए कहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने वह प्रदाय आदेश दिया था। किन्तु यह आवेदन बाधा के घटित होने पर तत्काल उसी समय दिया जाएगा न कि प्रदाय को पूर्ण करने की निर्धारित तारीख के बाद दिया जाएगा।

(2) यदि सेवाओं के प्रदाय में विलम्ब ऐसे विघ्न के कारण हुआ हो जो निविदादाता के नियंत्रण के परे हो तो अवधि में वृद्धि परिसमाजित नुकसानी के साथ या उनके बिना कर दी जाएगी।

7. करार से उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा इस करार पत्र के निर्वचन या व्याख्या से सम्बन्धित सभी प्रश्न सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएगे तथा सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

इसके साक्ष्य में इससे पक्षकारों ने आज दिनांक .... माह .... सन् 2026 को अपने हस्ताक्षर किए ।

राज्यपाल के लिए एवं उनकी ओर से हस्ताक्षर /पदनाम	अनुमोदित प्रदायकर्ता के हस्ताक्षर

वरिष्ठ लेखाधिकारी **कन्ट्रोलर** **उप सचिव–प्रथम**